कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश

96, महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 47 कैम्प-प्र.अ.विकास/03 (मु.-D)/16 दिनांक 05/02/16

कार्यालय–ज्ञाप

विभाग में सी0सी0 रोड के निर्माण के विभिन्न कार्य स्वीकृत हो रहे हैं। आपको विदित है कि सी0सी0 रोड में यदि गुणवत्ता में अनदेखी हो गयी, तो यह घातक होगा तथा इसकी क्षतिपूर्ति किया जाना मुश्किल होगा। इसके लिए आवश्यक है कि कांक्रीट के सम्बन्ध में स्लम्प, वाटर सीमेन्ट रेशियो पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा कांक्रीट को डिजाईन मिक्स के अनुरूप ही प्रयोग किया जाये। मार्ग की क्योरिंग सुनिश्चित करते हुए वांछित कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ के टेस्ट भी अवश्य कराये जायें। मार्ग के डावेल बार के सीधा होने, उसके कैपिंग में पंचर न होने देना आदि के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाये। सी0सी0 रोड में कोई भी कमी पाये जाने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा तथा कठोर कार्यवाही किये जाने में कोई संकोच नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता इन मार्गों का निरीक्षण क्रमशः कम से कम माह में एक बार एवं माह में दो बार अवश्य करें। निरीक्षण के समय उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी भी अंकित की जाये। यदि वांछित निरीक्षण नहीं किया जाता है तथा टेस्ट सुनिश्चित नहीं कराये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का भी सीधा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। सी0सी0 रोड के निर्माण के लिए तापमान का भी विशेष ध्यान रखा जाये। ग्रीष्मकाल में प्रकाश व्यवस्था करते हुए यथासम्भव रात्रि में ही कार्य कराया जाये। अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट के लिए पेवर का भी अच्छी हालत में होना आवश्यक है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई टेस्ट करना तथा फेल होने पर केवल अभिलेखों/निरीक्षण टिप्पणी में अंकित कर देना ही समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का निराकरण भी उतना ही आवश्यक है। कृपया सभी स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए सी0सी0 रोड की उच्च गुणवत्ता बनायी रखी जाये।

ह0/-
(ए0 के0 गुप्ता)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 (ई–मेल द्वारा)।

5/2/16
(ए0 के0 गुप्ता)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
विभागाध्यक्ष